(वाद सं0.-5766/4/32/2020)

14.07.2021

प्रसंगाधीन मामला परिवादी, श्री कृष्णदेव पौद्दार, अवकाश प्राप्त प्रधान विद्युतज्ञ, विद्युत आपूर्ति अंचल, मुजफ्फरपुर के दिनांक– 31.01.2004 को सेवानिवृत्ति के उपरान्त सेवान्त लाभ एंव अन्य बकाया राशि के भुगतान से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **नॉथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना** के **उप सचिव, ओम प्रकाश** द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी को सेवान्त लाभ, सामान्य भविष्य निधि की अंतिम निकासी एवं उपार्जित अवकाश के एवज में भुगत्तय अवकाश नगदीकरण की राशि का भुगतान किया जा चुका है तथा उक्त मद में स्वीकृत राशि से संबंधित किसी भी प्रकार का बकाया शेष नहीं है। उनके द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि तत्संबधी परिवादी की ओर से दाखिल एक **MJC No.-10/2020** माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष **विचाराधीन** है।

अब जबकि संबंधित प्राधिकार द्वारा परिवादी के शेष बकाया सेवान्त लाभ का भुगतान कर दिया गया है तथा प्रसंगाधीन मामले से संबंधित समरूप मामला माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन भी है तो ऐसी परिस्थिति में राज्य आयोग के स्तर पर उक्त मामले में कोई आदेश/निर्देश/अनुशंसा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

उप सचिव, नॉथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर **संचिकास्त** किया जाता है।

तद्नुसार, **उप सचिव, नॉथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना** से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति (अनुलग्नकों सहित) संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ **परिवादी** को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

सदस्य

निबंधक